न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1284/II/2012 –विरूद्ध आदेश दिनांक 11.04.2012 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 227/2009–10 अपील

सुभाष चंद जैन पुत्र श्री मिन्दूलाल जैन
निवासी ग्राम दियाधरी तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ----आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0शासन व्दारा कलेक्टर अशोकनगर ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के0 के0 द्विवेदी)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 1 – 9 – 2015 पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण क्रमांक 227/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.04.2011 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर ने कलेक्टर अशोकनगर को इस आशय का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 35 अ–19/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 20.9.04 से आवेदक के नाम ग्राम दियाधरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 690/3 रकबा 1.469 में से रकबा 0.500 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का नियम विरूद्ध व्यवस्थापन किया है। कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 99/2005–06 पंजीबद्ध किया तथा आवेदक को सुनवाई हेतु कारण बताओ नोटिस दि. 30.9.2006 जारी किया। आवेदक ने उपस्थित

होकर बचाव प्रस्तुत किया। कलेक्टर अशोकनगर ने आवेदक की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 01.11.2006 पारित किया तथा तहसीलदार अशोकनगर का आदेश दिनांक 20.09.2004 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्र0क0 227/09-10 अपील में पारित आदेश दि. 15.9.10 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने माननीय उच्च न्यायालय खंड-पीठ ग्वालियर में रिट पिटीशन क्रमांक 3388/2011 प्रस्तुत की, जिसमें हुये आदेश दिनांक 6.2.2012 पर से आवेदक ने अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर प्रकरण क्रमांक 227/09-10 अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने की मांग की। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 227/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 11.4.2012 से प्रकरण इस आदेश के साथ समाप्त कर दिया कि निगरानी श्रवण करने के अधिकार उन्हें नहीं है आवेदक चाहे तो कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दि. 01.11.2006 के विरूद्ध राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। इसी क्रम में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी अनुचित विलम्ब से दायर की है। वादग्रस्त भूमि आवेदक के ग्राम दियाधरी स्थित रिहायशी मकान से लगी हुई है जिसका कुल रकबा 1.100 हैक्टर है इस भूमि में से 0.600 है0 भूमि पर ग्रामीणों के निस्तार हेतु तालाब का निर्माण हो गया, शेष रकबा 0.500 हैक्टर आवेदक के खेतों से चारों ओर से घिरा हुआ है जिसके कारण अन्य किसी ग्रामवासी के निस्तार के उपयोग की नहीं है, यदि अन्य ग्रामीण इस भूमि पर जावेगा तो वह आवेदक के खेतों से गुजरेगा जिससे आवेदक की खड़ी फसल उजड़ने की संभावना है । राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मौके की जांच कर रिपोर्ट दी है कि यह भूमि किसी अन्य ग्रामीण

के उपयोग की नहीं है। तहसीलदार अशोकनगर ने जांच करके एंव समस्त ग्रामीणों को सुनवाई का अवसर देकर भूमि का व्यवस्थापन किया है। भूमि व्यवस्थापित होने के वाद आवेदक ने रिहायशी भवन से भूमि लगी होने से उसमें पेयजल हेतु एंव सिंचाई उपयोग हेतु ट्यूव वैल लगवा लिया है विद्युत कनैक्शन लिया है तथा मेढ़ बंधान करके उपजाउ बना लिया है यदि अब आवेदक से भूमि वापिस ली जाती है तो उसे अपरिमित छति होगी। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की। अनावेदक के अभिभाषक ने विरोध करते हुये बताया कि आवेदक भूमि व्यवस्थापन के लिये अपात्र है इसलिये कलेक्टर व्दारा भूमि व्यवस्थापन आदेश निरस्त किया हे। उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग की।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के प्रतिवेदन दि.29.9.2006 के पद 3 में बताया गया है कि तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 35 अ-19/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 20.9.04 से आवेदक के नाम ग्राम दियाधरी स्थित भूमि सर्वे कमांक 690/3 रकबा 1.469 में से रकबा 0.500 हैक्टर का सामिल खाता किया है अर्थात भूमि स्वतंत्र रूप से पटटे पर नहीं दी है अपितु आवेदक की भूमि में रकबा 0.500 हैक्टर सामिल किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 की कंडिका 24 में प्रावधान है कि कास्तकार को उसकी भूमि से लगे हुये रकबा, जो 0.500 हैक्टर से अधिक नहीं होगा, व्यवस्थापन किया जा सकेगा। आवेदक के अनुसार वादग्रस्त भूमि आवेदक की भूमि से चारों ओर से घिरी हुई है अर्थात अन्य कृषकों को इस भूमि का व्यवस्थापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि भूमि सर्वे कमांक 690/3 रकबा 0.500 हैक्टर अन्य कृषकों की भूमि से लगा हुआ नहीं है। राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी व्दारा मौके पर की गई जांच एंव प्रस्तुत प्रतिवेदन से भी इस तथ्य का पुष्टिकरण हुआ है। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव/ठहराव से भी इस तथ्य की पुष्टि होने के साथ साथ ग्राम पंचायत ने भी बहुमत से आवेदक के हित में भूमि व्यवस्थापित किये जाने की अनुशंसा की है। कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश में अंकितकिया है

कि गाम पंचायत का प्रस्ताव/ठहराव शंकास्पद है क्योंकि तहसीलदार के पत्र दिनांक 13.4.04 प्राप्ति उपरांत 14.4.04 को बैठक बुलाकर प्रस्ताव/ठहराव पास कर दिया है जो शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही होने से शंकास्पद है, जब ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 14.4.04 तहसीलदार को प्राप्त है तब ग्राम पंचायत एक दिवस में प्रस्ताव/ठहराव पारित करे अथवा अधिक दिवसों में - विचाराधीन प्रकरण में महत्व नहीं रखता है अपितु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव / ठहराव तहसीलदार को अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ है तहसीलदार ने विचार में लेकर जांच उपरांत आवेदक को भूमि व्यवस्थापन की पात्रता पाने पर वादोक्त भूमि आवेदक की भूमियों से घिरी होने के आधार पर व्यवस्थापित की है जिसमें प्रक्रियात्मक दोष नजर नहीं आता है। इसके वाद भी कलेक्टर अशोकनगर से वास्तविकता के विपरीत अर्थ निकालकर आवेदक के हित में हुये भूमि व्यवस्थापन को निरस्त करने की त्रृटि की है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 1.11.2006 रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख से पाया गया कि तहसीलदार के भूमि व्यवस्थापन आदेश दि. 20.9.2004 के विरूद्ध कलेक्टर अशोकनगर ने प्रथम आडरशीट 29.9.06 लिखकर स्वमेव निगरानी दर्ज की है जो लगभग 02 वर्ष के अंतराल वाद है।

भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) - स्वमेव निगरानी की शक्तियॉ प्रयोग करने के लिये एक वर्ष का समय अयुक्तियुक्त है - ऐसी शक्तियों का प्रयोग केवल कुछ माह के भीतर ही किया जा सकता है - अतिविलम्ब अथवा अत्याधिक समय व्यतीत होने के उपरांत स्वमेव निगरानी की शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता।

श्रीमती कमला सिंह विरूद्ध श्रीमती अलका सिंह 2011 रा0नि0 273=2011(11) MPJR 593 से अनुसरित।

कलेक्टर अशोकनगर ने स्वमेव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त समय के भीतर नहीं किया, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दि. 01.11.2006 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ तहसीलदार अशोकनगर ने आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर लगभग 15 वर्ष से कब्जा प्रमाणित पाये जाने एंव अन्य कृषकों के व्यवस्थापन योग्य भूमि न पाये जाने के कारण आदेश दिनांक

20.9.04 से भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के हित में किया है। यदि आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय, आवेदक ने अकृषि योग्य भूमि को श्रम व धन व्यय कर बंधान बनाते हुये टयूव वैल उत्खनित कर उन्नत कृषि योग्य बनाया है, तब क्या ऐसी भूमि को अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन दिनांक 20.9.06 पर से 02 वर्ष उपरांत स्वय्मेव निगरानी में लेकर पुनः शासकीय घोषित करना उचित है ?

1. **इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्व म0प्र0शासन 2009 राजस्व निर्णय 251 का न्यायिक दृष्टांत है कि - भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा-50 - जब किसी पक्षकार को भूमि का आवंटन किया गया - सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती। प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई त्रृटियों के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**
2. **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा-50 - अत्याधिक समय व्यतीत होने से एकपक्ष के अधिकार समाप्त हो जाते हैं और दूसरे पक्षकार के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार आवेदक के पक्ष में जो अधिकार उत्पन्न हुये हैं - अब उन्हें समाप्त नहीं किया जा सकता।**

विचाराधीन प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है किन्तु कलेक्टर अशोकनगर ने आदेश दि0 1.11.06 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 99/2005-06 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01.11.2006 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है। परिणामतः तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण क्रमांक 35 अ 19/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2004 स्थिर रहने से ग्राम दियाधरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 690/3 में से व्यवस्थापित रकबा 0.500 हैक्टर शासकीय अभिलेख में आवेदक के नाम पूर्ववत दर्ज रहेगा।

(एम0के0सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर